

कार्य का नामः— जनपद पिथौरागढ़ में छड़नदेव न्वाली मोटर मार्ग से रुनड़ा तक
मोटर मार्ग का नव निर्माण (लम्बाई 2.000 कि०मी०)।

प्रस्तावित कार्य हेतु वनभूमि के मांग का पूर्ण औचित्य

वर्तमान में ग्राम गांव गाजरी, रुनड़ा गांव की लगभग 412 जनसंख्या को अपने दैनिक उपभोग की सामाग्री प्राप्त करने के लिये 3.00 से 5.00 किमी0 पैदल पहाड़ी विष्णुम रास्तों से चलकर जाना पड़ता है क्योंकि उन गांवों को जोड़ने हेतु कोई मोटर मार्ग नहीं है। निकटस्थ मोटर मार्ग की दूरी 2 किमी0 होने के कारण गांव में किसी के लीमार होने पर कठिन रास्तों से डोली या कंधे में मरीज को लाने तथा मोटर मार्ग से चिकित्सालय तक पहुंचने में अत्यन्त देरी होती है जिस कारण अनेक लोग हर रोज खतरों में जीवन यापन कर रहे हैं।

यह क्षेत्र मोटर मार्ग से जुड़ा हुआ नहीं होने के कारण पिछड़ा हुआ है। ग्रामीणों का मुख्य व्यवसाय खेती बाड़ी एवं भेड़पालन है। अपने उत्पादों को बाजार तक पहुंचने में ग्रामीणों को पहाड़ के फिसलन भरे रास्तों से जाने आने में प्रतिदिन कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। इस क्षेत्र के प्रमुख उपज आम, धान व जड़ी-बूटियां हैं जिनके बाजार में अच्छे दाम प्राप्त होते हैं, किन्तु मोटर मार्ग के अभाव में यह संभव नहीं हो पा रहा है।

इस मार्ग में आ रही न्यूनतम वनभूमि 1.8435 हेठो के हस्तान्तरण हेतु यह प्रस्ताव गठित किया जा रहा है। विस्तृत सर्वेक्षण के उपरान्त प्रस्तावित संरेखन के अलावा अन्य कोई सरलतम मार्ग नहीं होने के कारण इस संरेखन के अलावा अन्य किसी संरेखन में इससे कम वनभूमि एवं कम वृक्ष नहीं आ रहे हैं। मोटर मार्ग की कुल चौड़ाई 9.00 मी० ली गई है एवं 4.00 मी० में वृक्षों की गणना की गई है। मोटर मार्ग का भूगर्भीय सर्वेक्षण कर लिया गया है एवं उनके द्वारा मोटर मार्ग बनाया जाना उचित पाया गया है। इस मार्ग में कोई ऐतिहासिक भवन, राष्ट्रीय संरक्षित क्षेत्र, धार्मिक भवन एवं कब्रिस्तान नहीं पड़ रहे हैं।

इस मोटर मार्ग के बनने से ग्रामीणों के सामाजिक एवं आर्थिक स्तर में वृद्धि होने से पहाड़ों से लोगों के पलायन को रोका जा सकेगा एवं पर्वतीय उपयोगी उत्पाद प्राप्त होंगे।

उक्त परिपेक्ष्य में क्षेत्रीय जनता की सामाजिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु इस मोटर मार्ग का बनाया जाना अत्यन्त आवश्यक है। अतः कुल 1.8435 हेक्टर वनभूमि प्रत्यावर्तन के लिये यह प्रस्ताव स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।

सहायक अधिकारी
सहायक अधिकारी (I)
निमाण युक्त, सोनियुक्त
अस्कोट (पिंडीसमाज)
अस्कोट
प्रधानीव वन विभागी
प्रधानीव वन प्रभाल
पिंडीरायद


अधिकारी अमेयना
निर्माण खण्ड लैटिना
अशकोट (प्रियंकामाद)